10 8/11 पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील की काफी देर आवाज लगाई गई लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिये वादी पक्ष की हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संचय की जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)